संख्या-13 /2024/2743/26-3-2024-1850307

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ एवं प्रयागराज के शत्-प्रतिशत अनुदानित विमुक्त जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-848/स0क0/लेखा-बजट/स0प्र0अनु0/आ0प0वि0/वि0जा0/वि0जा0/2024-25, दिनांक 11-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ, सहारनपुर एवं प्रयागराज के शत्-प्रतिशत अनुदानित विमुक्त जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 440.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-74/2024/1258/001-1116-26-3-2024-1397413 दिनांक 18 अप्रैल 2024 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 अन्तर्गत लेखाशीर्ष-02-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान के मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 440.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 73.33 लाख (रू0 तिहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि आपके द्वारा विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना के अन्तर्गत विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, जनपद-प्रयागराज तथा लखनऊ को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 03-शैक्षिक कार्यक्रम, 02-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान के मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 440.00 लाख के सापेक्ष **02 विद्यालयों-विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, जनपद-प्रयागराज तथा जनपद लखनऊ** को **द्वितीय किश्त के रूप में रू0 73.33 लाख (रू0 रूपये तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)** की वित्तीय

स्वीकृति अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024-25 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनाँक 04-03-2024 तथा दिनांक 19-06-2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। प्र0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा ।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 73,33,000 (रुपये तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2225808000302 विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-72-X-2024-25-दिनांक:-08-10-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 10-10-2024 10:05:01

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9-उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ मण्डल /प्रयागराज मण्डल ।
10-जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ/प्रयागराज।
11-गार्डफाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव